Computer Proficiency Certification Test

Notations :

1.Options shown in green color and with ✔ icon are correct.

2.Options shown in red color and with ✖ icon are incorrect.

Question Paper Name:	INSCRIPT 5th Aug 2018 Shift1
Subject Name:	Inscript
Creation Date:	2018-08-05 13:29:14
Duration:	30
Show Result On Console:	No
Actual Answer Key:	Yes
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No

Mock

Group Number :	1
Group Id :	93249414
Group Maximum Duration :	10
Group Minimum Duration :	10
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	1
Mandatory Break time:	Yes
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249426
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249426
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 1 Question Id : 932494239 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

बहुत समय पहले की बात है हिमालय के जंगलो में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था एक दिन उसने बारासिंघे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता उसके गुणगान करने लगा।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Inscript
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes

Actual

Group Number :	2
Group Id :	93249415
Group Maximum Duration :	20
Group Minimum Duration :	20
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249427
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249427
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 2 Question Id : 932494240 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

सिंधु जल संधी को भारत-पाकिस्तान के बीच जल विवाद पर हुई एक सफल अंतरराष्ट्रीय सफलता का उदाहरण बताया जाता है। १९६० में भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनो देशों के बीच दो युद्धों और एक सीमित कारगिल युद्ध और हजारों टकरावों के बावजूद यह संधि कायम है। इस समझौते से पहले १९४७ में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की और आने वाली दो प्रमुख नहरों पर एक स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान को लगाता पानी मिलता रहेगा। यग समझौता ३१ मार्च १९४८ तक लागू था। १ अप्रैल १९४८ को जब इस समझौते की अवधि समाप्त हो गयी तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया जिससे पाकिस्तानी पंजाब की १७ लाख एकड जमीन पर हालात खराब हो गयी थी। हालांकि बाद में हुए समझौते के परिणामस्वरूप भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। १९५१ में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेनसी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमरीका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त ब्लैक ने भी पढा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर शुरू हुआ दोनो पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला। यह बैठकें लगभग एक दशक तक चलीं और आखिरकार १९ सितंबर १९६० को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोडकर, भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के तहत इन नदियों के पानी का कुछ क्षेत्रों में सीमित इस्तेमाल के लिए अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। अनुबंध में बैठक, साइट इंस्पेक्शन आदि का प्रावधान भी है। समझौते के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इसमें दोनो देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। यह कमिश्नर प्रत्येक कुछ समय के अंतराल पर एक दूसरे से मिलते हैं और होने वाली किसी भी समस्या पर बातचीत करते हैं। यदि कोई देश किसी भी परियोजना पर काम करता है और दूसरे देश को उनके डिजाइन पर आपत्ति है तो पहले देश को उस पर जवाब देना होगा, दोनो पक्षों का बैठकें भी होंगी। यदि आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाती हैं तो सरकारें उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा समझौते में विवादों का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेगी।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Inscript
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes